(1)

न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 14/2019

1— जुगतसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—— अपीलांटस

बनाम

1— मघीकंवर पत्नी स्व भीवसिंह
2— केसरकंवर पत्नी मूलसिंह
3— सवाईसिंह
4— जसूसिंह } — पिसरान स्व0 मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर
5— बीरबलसिंह

8— राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

— रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री रामचंद्र सिंह भाटी — अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रविराजसिहं भाटी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5

पैरोकारराज — राज्य की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक :—25—9—2019

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन आज्ञा विरूद्व उपनिवेशन तसहीलदार कोलायत न0 1 दिनांक 11.6.1992 के इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं। जिसके कि द्वारा अपीलांट का नाम इंतकाल सं0 1212 मे जुगतसिंह के स्थान पर सवाईसिंह दर्ज कर दिया गया।

2— अपील प्रकरण से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खेत ख0न0 715 तादादी 35 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 716 तादादी 42 बीघा 6 बिस्वा व ख0न0 897 तादादी 10 बीघा 09 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 88 बीघा भूमि ग्राम रोही बीठनोक मूल सिंह, भींवसिंह व दीपकंवर पुत्रगण/ पुत्री सूरतसिंह की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थीं। उक्त संयुक्त खातेदारान मे से सह खातेदार भींवसिंह की मृत्यु हो जाने से उनकी फौतगी का विरासतन इंतकाल सं0 1212 उसकी पत्नि प्रत्यर्थी सं0 1 मु0 मघीकंवर व पुत्र अपीलांट के नाम उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं0 1 ने दिनांक 11.6.1992 को तस्दीक कर दिया। इसी आदेश को आक्षेपित करते हुए अपीलार्थी यह अपील लेकर इस न्यायालय मे उपस्थि हुआ हैं। अपील प्रार्थना पत्र मे यह अभिकथन किया हैं कि आदेश मातहत न्यायालय गलत मिसल रिकार्ड व कानून के खिलाफ पारित होने से अवैध हैं तथा निरस्तनीय भी हैं। अपील मे यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश इंतकाल जैर अपील पारित करने से पूर्व कोई सूचना व सुनवाई का अवसर अपीलांट को नही दिया गया और इंतकाल की कार्यवाही बाला—बाला अपीलांट के पीछे पीछे इकतरफा तौर पर पारित कर दिया गया जिसकी पूर्व मे जानकारी नही हो सकी। प्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर अपील प्रस्तुत कर दी गयी हैं और अवधि अधिनियम का फायदा अपीलार्थी को दिलाया जावें। अपील मीमो मे यह भी कथन किया हैं कि अपीलार्थी का नाम जुगतसिंह है।लेकिन इन्तकाल आक्षेपाधीन मे उसका नाम सवाईसिंह अंकित कर दिया गया जो गलत व त्रुटिपूर्ण होने से अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व हो जाता हैं जो निरस्तनीय हैं। अपील के साथ दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत

छाया प्रति प्रमाणित

कर उसकी सही नाम जुगतसिंह राजस्व अभिलेखों मे दुरूस्ती के जरिये अंकित करने का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जावें।

3– इस अपील के प्रत्यर्थीगण को सम्मन करने पर प्रत्यर्थीगण सं0 1 ता 5 की ओर से श्री रविराजसिंह अभिभाषक ने अपना अभिभाषक पत्र उपस्थित आए दिनांक 28.8.2019 को न्यायालय मे दाखिल किया। राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से उनका मूल अभिलेख (इंतकाल मिसल) भी तलब किया जो प्राप्त होने पर पत्रावली के संलग्न कराया गया।

4– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी एवं उस पर गहराई से मनन किया एवं पत्रावली तथ आक्षेपाधीन इंतकाल का अवलोकन किया।

5– हम सर्व प्रथम अपील की समय सीमा के बिन्दु पर अपना निर्णय देते हैं। प्रस्तुत अपील उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत न01 की आज्ञा दिनांक 11.6.92 के विरूद्व इस न्यायालय मे दिनांक 23.7.2019 को प्रस्तुत की गयी हैं, जो बहुत देरीना हैं तथा जो निश्चित तौर पर समय सीमा से बाधित हैं। क्योंकि सामान्यतया प्रथम अपील प्रस्तुत करने की मियाद कानून मे 30 दिवस निर्धारित हैं। लेकिन अपीलार्थी द्वारा दफा 5 मियाद कानून व प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसमें उसने अंकित किया हैं कि आदेश इंतकाल जैर अपील एकपक्षीय पारित किये जानें से पूर्व मे इसकी जानकारी उसे नही हो सकी। प्रथम ज्ञान की तिथि के आधार प अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी दफा 5 कानून मियाद का फायदा उठाने का अधिकारी हैं। अतः अपील के प्रस्तुतीकरण मे हुवे विलंब को क्षमा करते हुवे अपील मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी शुमार फरमायी जावें। आक्षेपाधीन इंतकाल के अवलोकन से यह तो स्पष्ट हैं कि वर्ष सन 1992 मे जब इंतकाल की कार्यवाही की गयी तत्तसमय अधिनस्थ न्यायालय ने जो भी प्रक्रिया इस संबंध मे अपनायी हो लेकिन इसकी सूचना व सुनवाई का अवसर अपीलार्थी को यदि अपीलार्थी तत्समय नाबालिग था तो उसकी माता मधीकंवर मौजूद थी तथा वही वली जुगतसिंह अपीलार्थी की थी । इसके अलावा मधीकंवर भी पक्षकार थी तो उसे भी कोई नोटिस दिया जाना पत्रावली मे प्रकट नही होता हैं। इससे यह तो प्रतिस्थापित हो जाता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व कोई सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया था। जबकि कानून की यह स्वीकृत स्थिति हैं कि कोई आदेश किसी व्यक्ति के खिलाफ पारित किया जाता हैं तो सर्वप्रथम संदर्भित व्यक्ति को इसकी सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक हैं। यदि बिना सुनवाई के कोई आदेश पारित किया जाता हैं तो कानून की निगाहों मे ऐसा आदेश दूषित आदेश हो जाता हैं। अपीलार्थी ने अपील प्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर प्रस्तुत की हैं। अतः डिले कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः दफा 5 मियाद कानून व प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील प्रस्तुतीकरण मे हुवे विलंब को कंडोन किया जाता हैं तथा अपील प्रथम ज्ञान की तिथि के आधार पर प्रस्तुत होने से मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी घोषित की जाती हैं।

6– हम अब अपील के गुणावगुण पर विचार विमर्श करते हैं। इस केस मे अपीलार्थी ने यही अनुतोष चाहा हैं कि उसका नाम जुगतसिंह हैं तथा उसके पिता का नाम भींवसिंह हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोडी जायदाद में उसके वारिसान पत्नि व पुत्र, पुत्रीयां को हक होता हैं और विरासतन के आधार पर उन्हीं के नाम इंतकाल तस्दीक किया जाना होता हैं। इस केस मे सवाईसिंह को भींवसिंह का पुत्र बताकर अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक कर दिया जो गलत व अवैध हैं। क्योंकि सवाईसिंह उसके ताऊ मूलसिंह का लडका हैं तथा उसका नाम आक्षेपाधीन इंतकाल मे आना भी नही चाहिये, लेकिन मातहत न्यायालय ने ऐसा

करने मे अपने क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटी की तो ऐसे आदेश का न तो समर्थन किया जा सकता और ना ही इसे कायम भी रखा जा सकता हैं। लेकिन साथ ही हमारा यह भी सोचना हैं कि अपीलार्थी ने एक लम्बे समय के उपरान्त यह अपील इस न्यायालय मे लेकर आया हैं कि उसका नाम इंतकाल मे सवाई सिंह गलत रूप से लिखा गया हैं क्योंकि उसका नाम जुगतसिंह पुत्र भीवसिंह हैं तथा इस संबंध मे अपील के समर्थन मे ग्राम पंचायत बीठनोक द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मन नरेगा कार्ड की फोटो प्रतियां अपीलार्थी ने पत्रावली पर प्रस्तुत की हैं। इसमे यह तो प्रकट हैं कि अपीलार्थी का नाम जुगतसिंह होने के बावजूद सवाईसिंह का नाम इंतकाल मे किस आधार पर दर्ज किया गया था। सारी जांच उपनिवेशन तहसीलदार से करवायी जाने का आदेश दिया जाना मे न्यायोचित समझता हूं। अपील अपीलार्थी मे अतिबल हैं तथा उसका प्रस्तुत करने को साधिकार हैं तथा प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक भी दौराने बहस अपील स्वीकार करने मे अपनी सहमति प्रकट की हैं तथा इस दृष्टि मे अपील अपीलार्थी काबिले मंजूर जो जाती है।

7— परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंतकाल सं0 1282 दिनांक 11.6.1992 सवाईसिंह का नाम अंकित करने की प्रविष्टि की हद तक निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं, कि इस प्रकरण मे दुबारा ट्रायल प्रारंभ कर अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद जांच पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख उन्हें लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25-9-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर